

6/5/2025

पत्रावली पेश हुई। ~~पत्रावली~~ पत्रावली वास्ते आदेश

बाबत नियत है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज,

राजस्व रिपोर्ट तथा अर्थात् तहसीलदार मिनाय की

अवलोकन किया गया। आदेश पक्षदार पर मनन

किया गया। आदेश द्वारा अवलोकन तथा मनन

वकील अर्थात्/पक्षीयों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

द्वारा 111, 116, 138 अनुलेख योग्य नहीं होने से

खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा

पृष्ठ से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फ़ैसल इमारत है। नम्बर से इस होकर दाखिल

दस्तावेज है।

निर्णय आज दिनांक 6/5/2025 के सरे

इजलास सुनाया गया।

उपस्थित अधिकारी

मिनाय (अजमेर)